

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 280]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 18 जून 2020 — ज्येष्ठ 28, शक 1942

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 18 जून 2020

## अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-1/2019/1-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 और 335 सहपठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

### संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 11 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“11. पदोन्नति/छानबीन समिति में प्रतिनिधित्व—यदि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में पदोन्नति/छानबीन समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को छोड़कर नामनिर्दिष्ट सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, तो उसी स्तर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के प्रत्येक प्रवर्ग से पृथक पृथक एक-एकसदस्य पदोन्नति/छानबीन समिति में सम्मिलित किया जायेगा और पदोन्नति/छानबीन समिति के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जायेगी।”

2. यह संशोधन राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 18 जून 2020

क्रमांक एफ 4-1/2019/1-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क. एफ 4-1/2019/1-3 दिनांक 18-06-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

Atal Nagar, the 18th June 2020

NOTIFICATION

No. F 4-1/2019/1-3.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 read which Article 16 and 335 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Public Services (Promotion) Rules, 2003, namely :-

AMENDMENT

In the said rules, -

1. For rule 11, the following shall be substituted, namely :-

**"11. Representation in Promotion/Screening Committee.-** If the nominated members other than the member presiding the promotion/screening committee in respect of the posts to be filled up by promotion do not represent the category of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes then one member belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes category of the same status shall be included separately from each category in the promotion/screening committee and the number of members of promotion/screening committee shall be extended that limit."

2. This amendment shall be effective from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
KAMALPREET SINGH, Secretary.